

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संसाधन-लघुसिमा-05/2020-1207(मौ०) /पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा।

विषय:-आरा जिलान्तर्गत दुलमचक आहर-पईन कार्य का जीर्णोद्धार कार्य को अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-श्री मुकेश कुमार, संवेदक से प्राप्त आवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्री मुकेश कुमार, संवेदक, पिता-श्री यमुना प्रसाद सिंह, ग्राम+पोस्ट-लई, बिहटा, पटना को आपके प्रमण्डलान्तर्गत दुलमचक आहर-पईन जीर्णोद्धार कार्य आवंटित किया गया है। श्री कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त कार्य का योजना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसे मुक्त कराने हेतु उन्होंने आपको आवेदन भी दिया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना की जांच की जाय। यदि योजना सम्भाव्य हो तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी के कार्यालय में Bihar Public Land Encroachment Act के तहत मुकदमा दायर करें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1207(मौ०)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1207(मौ०)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि- श्री मुकेश कुमार, संवेदक, पिता-श्री यमुना प्रसाद सिंह, ग्राम+पोस्ट-लई, बिहटा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

16/6/20

सेवामें
कृषिपालक अभि०

लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा

विषय: दुल्हन चक आहर पईन निर्णोद्वार कृषि के सिमांकन
कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में।

अ.पी.मि. (म.प्र.)

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं मुख्य
कुमार, पिला श्रीमनुना प्र० सिंह आल्पोत-एई, विस्था
पला, लघु सिंचाई प्रमण्डल आरा के द्वारा दुल्हन चक
आहर पईन निर्णोद्वार का कृषि आवंटित किया
गया है। आहर में मेरे द्वारा कृषि प्रारंभ किया गया
है। आहर कृषि कराने के दौरान ग्रामिणों द्वारा कृषि
करने से रोका गया है। जिसके कारण आहर पईन
निर्माण कृषि बंद कर दिया गया है। मेरे द्वारा वर्ष में भी
कृषिपालक अभि० को मौखिक सलिलित रूप से सूचनाएं
कराने एवम अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सुचित किया
गया है। परन्तु अभि० के सिमांकन नहीं कराया गया है।
जिसकी वजह से निरन्तर कर रहे हैं। जिसके चलते
में आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है।
उतः श्रीमान व नम्र निवेदन है कि सिमांकन
कराकर अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। ताकि सरकार
के इस महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक किया जा
सके इसके लिए श्रीमान का बड़ा आभारी रहूंगा।

जमा
03-06-2020

2203/अ.पी.मि. (म.प्र.)
07/6/20

रवि

27/6
3/6

2298 (मो)
04-06-2020

प्रतिनिधि

- 1) अधीक्षण अभि० लघु सिंचाई अंमल प्रजात। 612/020 को अनुलगनक के साथ सुचनाय रूप आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।
- 2) मुख्य अभि० लघु जल संसाधन विभाग बिहार, पूरना को अनुलगनक के साथ सुचनाय रूप आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।
- 3) प्रधान सचिव लघु जल संसाधन विभाग बिहार, पूरना को अनुलगनक के साथ सुचनाय रूप आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

अ.पी.मि. (म.प्र.)
04/6/20

M/s Mukesh Kumar

Contractor : R.W.D., P.W.D. P.H.E.D., Irrigation
Lai, Bihta, Patna

Ref.

Date: 11.5.2020

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
सबु विचार प्रमण्डल भावा

11/05/20

विषय: अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में

महोदय,

सावितापुत्रिण वनपूर्वक कहेवा है कि मुझे कुछ समय
आबर/पड़ने का कार्य आवाहन हुआ है। जिसके लिए
है।

कारण: शीमान से नमूने लिए गए हैं कि सिंकाक वक्रक;
अतिक्रमण मुक्त कराने की सुझाव कि जाए। इसके लिए
शीमान का खर्च आभारी रहूंगा।

(कार्यपालक विचार)
मुकुंद